III/निग0/सतना/भू-रा0/2017/4004

समक्ष न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक ....

Rs-30/-

1. लालता प्रसाद पिता स्व0 गंगा प्रसाद मिश्रा आयु 65 साल
2. बद्री प्रसाद पिता स्व0 गंगा प्रसाद मिश्रा आयु 68 साल दोनो निवासी ग्राम दैजवार कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

.....................**निगरानीकर्तागण**

<u>बनाम</u>

1. गणेश प्रसाद मिश्रा पिता स्व0 जगदीश प्रसाद मिश्रा आयु 55 साल
2. सुरेश कुमार मिश्रा पिता स्व0 जगदीश प्रसाद मिश्रा आयु 52 साल दोनो निवासी ग्राम दैजवार कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

आवेदक बद्री प्रसाद मिश्रा द्वारा पेश 25-10-17

कापी आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट), रीवा

................**रेस्पा0गण**

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 1370/अपील/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.08.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नांकित हैः–

1. यह कि निगरानीकर्ता गण ने द्वितीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय के समक्ष न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 के रा.प्र.क. 146/अपील/2015–16 में परित आदेश दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत की थी किन्तु माननीय अपर आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन में प्रेक्षक की हैसियत से गये हुये थे जिन्हें दिनांक 15.03.2017 को वापस होना था ऐसी जानकारी कार्यालय से निगरानीकर्तागण को प्राप्त ~~हुई थी। ऐसी~~ स्थित में शीघ्र

बद्री प्रसाद

लालता प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–**निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4004**

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व में सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1370/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा अपर आयुक्त ने पूर्व में दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त किया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुकम में अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने पूर्व में जारी स्थगन इन आधारों पर निरस्त किया है :– आदेश पद 5– दिनांक 17–3–17 को केविएटकर्ता की अनुपस्थिति रहने के कारण अपीलांट को सुनकर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बता रहे हैं। तहसीलदार के प्र0क0 44/अ–70/2015–16 आदेश दिनांक 21–3–17 जिसकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि का कब्जा प्रदान किया जा चुका है अधीनस्थ न्यायालय में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। राजस्व अभिलेखों में आदेश का पालन हो चुका है। अतः स्थगन निरस्त किया जाता है। आदेश पद 6– चूँकि अभी तक प्रकरण में ग्राह्यता बिन्दु पर आदेश पारित नहीं है। अतएव प्रकरण दर्ज हो। आदेश पद 7– अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण तलब हो। उपरोक्त से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त का अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 स्पष्ट होकर Speaking Order वोलता हुआ आदेश है तथा आवेदक को अपर आयुक्त के समक्ष पक्ष रखने का एंव अपना दावा प्रमणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है, जिसके कारण निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	